


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि
1	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार विश्वनाथ दास, पिता- स्व० चैतान दास ग्राम- कोकरकाटा थाना- कुमारडुँगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का नीलाम पत्र वाद सं० 299(Adv)/68-69 के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार से नीलाम पत्र की राशि मुलधन-1200.00 रूपये बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अन्तर्गत वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">   नीलाम पत्र पदाधिकारी,  कुमारडुँगी। </p>	